3

न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या –18 / 2018 (आव.व.अधि)

जीसीएमएस नं0 2018 / 00110

सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद अधिकारी, कोटा
–प्रार्थी

बनाम

श्री सुरेश महरोठा पुत्र श्री बिरधीचन्द निवासी तलाव गांव अनंतपुरा कोटा प्रो0 मैसर्स श्री राम गैस स्टोव एण्ड सर्विस प्रेमनगर–।। कोटा
–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक– 22.09.2021

1. संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि अमित शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी, कोटा द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र दिनांक 19.2.2018 की अनुपालना में अवैध घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यावसायिक की रोकथाम हेतु गठित जांच दल श्रीमति सन्ध्या सिन्हा प्रवर्तन अधिकारी, श्री कुलजीत कुमार जिला नोडल अधिकारी एवं श्री अमित शर्मा प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 6.4.2018 को मैसर्स श्री राम गैस स्टोव एण्ड सर्विस प्रेमनगर–।। के यहां पहुंचे । मौके पर मालिक श्री सुरेश महरोठा पुत्र श्री बिरधीचन्द निवासी तलाव गांव अनंतपुरा कोटा उपस्थित मिले । जहां पर घरेलू गैस सिलेण्डर्स के अवैध संग्रहण की जांच की गई । वक्त जांच इस प्रकार स्थिति पाई गई कि मैसर्स श्री राम गैस स्टोव एण्ड सर्विस, प्रेमनगर ।। कोटा पर श्री सुरेश महरोठा पुत्र श्री बिरदीचंद निवासी तलाव गांव अनंतपुरा कोटा द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर्स का अवैध रूप से संग्रहण किया जाना पाया गया । घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग रिफलिंग निप्पल द्वारा non isi छोटे सिलेण्डर में रिफिल कर कीमतन विक्रय किया जा रहा था । इस प्रकार मौके पर पाये गये निम्नांकित विवरण के घरेलू गैस सिलेण्डर्स का अवैध संग्रहण करने के कारण द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेष 2000 के खण्ड 3 (1) आदि धाराओं का उल्लंघन पाये जाने से मौके से जप्त किया जाकर मौके पर ही उपस्थित श्री उमेश शर्मा पुत्र श्री हरीश चंद्र शर्मा निवासी 94, गोपाल विहार बारां रोड श्री गैस एजेन्सी, बोरखेडा कोटा को सुपुर्दगी में शर्तो के अनुसार दिया गया । सिलेण्डर्स का विवरण निम्नानुसार है–

जिला कलेक्टर
कोटा

क्र0सं0	तेल कम्पनी का नाम	गैस सिलेण्डर्स के एस.आर.नम्बर	टेयर वेट (किलोग्राम)	ग्रॉस वेट (किलोग्राम)	नेट वेट (किलोग्राम)
1	BPCL	890062	15.8	29.8	14.2
2	BPCL	068950	15.5	27.3	11.8
3	BPCL	190012	16.4	29.5	13.1
4	BPCL	246192	15.9	23.7	7.8
5	IOCL	209669	15.7	29.9	14.2
6	BPCL	049566	15.6	30.0	14.4
7	5 Kg का Non isi एक रेगुलेटर मय पाइप				
8	10, 4 Kg का NOn isi एक Weghing machine (k nil				
9	5, 2 Kg का NOn isi सिलेण्डरए 2 गैस रिफिलिंग बांसुरी				

इस प्रकार उक्त मैसर्स श्री राम गैस स्टोव एण्ड सर्विस, प्रेमनगर–।। श्री सुरेश महरोठा पुत्र श्री बिरधीचन्द निवासी तलाव गांव अनंतपुरा कोटा द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनुदानित घरेलु गैस सिलेण्डर्स का अवैध रूप से संग्रहण कर द्रवित पेट्रोलियम (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3(1) (ए) (बी)का स्पष्ट उल्लंघन किया है ।

अतः उक्तानुसार अधिग्रहित कुल 06 घरेलू उपयोग के गैस सिलेण्डर्स 5 Kg का NOn isi एक रेगुलेटर मय पाइप, 10,4 Kg का NOn isi एक Weghing machine (k nil), 5,2 Kg का NOn isi सिलेण्डरए 2 गैस रिफिलिंग बांसुरी उनमें भण्डारित एल.पी.जी. को राजसात करने के आदेश फरमावें । साथ ही जप्तशुदा गैस सिलेण्डर्स से एल.पी.जी.लीक हो सकने के कारण गैस सिलेण्डर्स का अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने का कष्ट करें ।

2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 बी के अधीन नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी को जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त । अप्रार्थी की ओर से एडवोकेट श्री हीरालाल का वकालतनामा पेश हुआ । वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश किया गया जो पत्रावली संलग्न है । राजकीय अभिभाष एवं वकील अप्रार्थी की बहस सुनी गई ।
3. राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराया एवं कथन किया है कि मैसर्स श्री राम गैस स्टोव एण्ड सर्विस, प्रेमनगर–।। श्री सुरेश महरोठा पुत्र श्री बिरधीचन्द निवासी तलाव गांव अनंतपुरा कोटा द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनुदानित घरेलु गैस सिलेण्डर्स का अवैध रूप से संग्रहण कर द्रवित पेट्रोलियम (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3(1) (ए) (बी)का स्पष्ट उल्लंघन किया है । जब्तसुदा माल राजसात किया जावें ।
4. प्रार्थी द्वारा जवाब एवं बहस में कथन किया है कि प्रार्थी उक्त घरेलू 6 सिलेण्डरों को हमारे परिवार में प्रोग्राम होने से उक्त सिलेण्डर को डी0जे0 की गाडी में रखवा दिया था तथा उक्त गाडी से उक्त सिलेण्डर को दुकान पर रख दिया था तथा वहां से वह सिलेण्डर घर पर पहुंचाने थे लेकिन उक्त समय पर श्रीमान रसद अधिकारी साहब वहां पर आ गये और उक्त सिलेण्डरों को दिनांक 6.4.2018 को जप्त कर लिया । प्रार्थी की गलती सद्भाविक है तथा उक्त गैस सिलेण्डरों का

जिला कलेक्टर कोटा

उपयोग घरेलू प्रोग्राम के लिये किया गया था जो कि प्रोग्राम से घर पर पहुंचाने हेतु दुकान पर रखे हुये थे । अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की गलती सद्भाविक है तथा प्रार्थी का उपयोग उक्त घरेलू सिलेण्डरेां को किसी भी प्रकार के कॉमशियल उपयोग में नहीं किया जा रहा था । उक्त सिलेण्डर मात्र घर पर पहुंचाने के लिये रखे हुये थे उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये प्रार्थी का जवाब स्वीकार फरमाते हुये प्रार्थी के प्रकरण में कार्यवाही को ड्रॉप फरमाने की कृपा करें ।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया दिनांक 06.04.2018 को अवैध घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यावसायिक उपयोग की रोकथाम हेतु गठित जांच दल के द्वारा प्रेमनगर–।। कोटा स्थित मैसर्स श्री राम गैस स्टोव एण्ड सर्विस प्रेमनगर –।। में मौजूद श्री सुरेश महरोठा पुत्र श्री बिरधीचन्द निवासी तलाब गांव अनंतपुरा कोटा उपस्थित मिले जिन्होंने स्वयं को दुकान का मालिक होना जाहिर किया । श्री सुरेश महरोठा की उपस्थिति में दुकान की जांच की गई । जांच के दौरान 06 घरेलू गैस का सिलेण्डरडर्स 5 Kg का NOn isi एक रेगुलेटर मय पाइप, 10,4 Kg का NOn isi एक Weghing machine (k nil), 5,2 Kg का NOn isi सिलेण्डरए 2 गैस रिफलिंग बांसुरी का उपयोग ग्राहकों के लिए भोजन बनाकर कीमतन बिकी किया जाने पर राजहित में जब्त किये गये ।

6. इस प्रकार श्री सुरेश महरोठा पुत्र श्री बिरधीचन्द निवासी तलाब गांव अनंतपुरा कोटा, प्रो0 मैसर्स श्री राम गैस स्टोव एण्ड सर्विस प्रेमनगर–।। कोटा द्वारा अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर्स का अवैध रूप से संग्रहण कर द्रवित पेट्रोलियम (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1), (ए),(बी) का स्पष्ट उल्लंघन किया है।

7. अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत सीज्ड माल कुल 06 घरेलू उपयोग के गैस सिलेण्डर्स 5 Kg का NOn isi एक रेगुलेटर मय पाइप, 10,4 Kg का NOn isi ,d Weghing machine (k nil] 5,2 Kg का NOn isi सिलेण्डर्स 2 गैस रिफलिंग बांसुरी को राजसात (Confiscation) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी कोटा को आदेश की प्रति पालनार्थ भेजी जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 22.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलेक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा